


साक्षात्कार हेतु वैबसाइट पर विज्ञापन हेतु प्रारूप

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत जिला स्तर पर स्थानीय समिति (लोकल कमेटी) के गठन के लिए अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के नामित हेतु आवेदन आमंत्रित है।

क्र० संख्या	पद का नाम	योग्यताएं
1	अध्यक्षा (चेयरपर्सन)	जो समाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामित किया जायेगा
2	सदस्य	एक महिला, जो जिले में ब्लॉक, तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं से नामित किया जायेगा
3	दो सदस्य	दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों से नामित की जाएगी, या ऐसा व्यक्ति, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो जो विहित किया जाये परंतु कम से कम एक नामित के पास लीगल जानकारी होना आवश्यक है परन्तु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी

- योग्य उम्मीदवार अपने Resume के साथ दस्तावेजों की प्रतियां सहित ई-मेल के माध्यम से [posh-grg.rev@hry.gov.in](mailto:posh-grg.rev@hry.gov.in) सभी तहत से पूर्ण आवेदन प्रपत्र दिनांक 30.11.2021 तक अतिरिक्त उपायुक्त, गुरुग्राम, विकास सदन के पास पहुंच जाने चाहिए।

  
उपायुक्त, गुरुग्राम एवम जिला अधिकारी,  
महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न  
(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013